

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का वसितार

प्रलिस के लयि:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम, 2013, अंत्योदय अन्न योजना, लक्षति सार्वजनकि वतिरण प्रणाली, ई-रुपी ।

मेन्स के लयि:

सरकारी नीतयिों के डज़ाइन और कार्यानवयन से उत्पन्न मुददे, NFSA के तहत लाभार्थी ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अतरिकित पाँच वर्षों के लयि [प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना \(PMGKAY\)](#) के वसितार की घोषणा की है ।

PMGKAY क्या है?

- PMGKAY को सर्वप्रथम वर्ष 2020 में [कोवडि-19 महामारी](#) के दौरान पेश कयिा गया था और इसे [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम, 2013 \(NFSA\)](#) के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लयि डज़ाइन कयिा गया था ।
- प्रारंभ में यह योजना दसिंबर 2022 में समाप्त होने वाली थी, फरि इसे दसिंबर 2023 तक बढ़ा दयिा गया था और अब इसे अतरिकित पाँच वर्षों के लयि आगे बढ़ा दयिा गया है ।
- इस योजना के आरंभ होने के बाद से सरकार ने 3.9 लाख करोड रुपए की लागत से अपने केंद्रीय खरीद पूल से 1,118 लाख मीटरकि टन खाद्यान्न आवंटति कयिा है ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम, 2013:

- परचिय:**
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम, (NFSA) 2013 खाद्य सुरक्षा की पहुँच के लयि कल्याण से अधिकार आधारति दृष्टकिोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है ।
- लाभार्थी:**
 - यह अधनियम कानूनी तौर पर ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षति सार्वजनकि वतिरण प्रणाली के तहत सब्सडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है ।
 - इस प्रकार इस अधनियम के अंतर्गत अत्यधिक सब्सडी/सहायकिी वाले खाद्यान्न के आबंटन के लयिलगभग दो तह्राई आबादी को कवर कयिा जायेगा ।
 - इसमें राशन कार्ड धारकों की दो श्रेणयिों शामिल हैं: अंत्योदय अन्न योजना (AAY) एवं प्राथमकिता वाले परिवार (PHH) ।
 - महिला सशक्तीकरण की दशिा में एक कदम के रूप में, इस अधनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की 8 वर्ष अथवा उससे अधिक उमर की महिला को परिवार का मुखयिा होना अनविर्य है ।
- प्रावधान:**
 - इस कार्यक्रम के तहत AAY के लाभार्थी परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न दयि जाने का प्रावधान है, चाहे परिवार के सदस्यो की संख्या कुछ भी हो ।
 - प्राथमकिता वाले परिवारों को परिवार के सदस्यो की संख्या के आधार पर खाद्यान्न मलिता है, जसिमें प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मलिता है ।
- PMGKAY एवं NFSA का एकीकरण:**

- जनवरी 2023 में PMGKAY को NFSA के साथ एकीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप AAY एवं PHH परिवारों के लिये सभी राशन नशुल्क उपलब्ध कराए गए।
- इस एकीकरण ने PMGKAY के नशुल्क राशन कारक को NFSA में शामिल करकोवडि-19 महामारी के दौरान पेश किये गए अतिरिक्त प्रावधानों को समाप्त कर दिया।

PMGKAY के वसितार के क्या प्रभाव होंगे?

■ सकारात्मक प्रभाव:

- **तत्काल खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं का समाधान करना:** यह वसितार नमिन-आय वाले परिवारों को राहत प्रदान करता है, आवश्यक खाद्य आपूर्ति तक नरंतर पहुँच सुनिश्चित करता है, और तत्काल खाद्य सुरक्षा चिंताओं का समाधान करता है।
 - यह वसितार आर्थिक संकट अथवा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान **सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है**, अपरत्याशति कठिनाइयों का सामना करने वाले व्यक्तियों को त्वरित सहायता प्रदान करता है एवं आपात स्थिति के दौरान बुनियादी जीविका की गारंटी देता है।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** योजना के लिये **खाद्यान्न की खरीद** स्थानीय किसानों व कृषिसमुदायों को सहायता प्रदान करती है, जिससे **ग्रामीण आर्थिक विकास और स्थिरता में योगदान मलित है।**
- **सामाजिक सामंजस्य:** यह कार्यक्रम सामुदायिक कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है, जहाँ सरकार की पहल यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी भूखा न रहे, यह वसितार सामाजिक एकजुटता एवं ज़रूरतमंद लोगों के प्रति सामूहिक ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है।

■ नकारात्मक प्रभाव:

- दीर्घकालिक राजकोषीय एवं आर्थिक चिंताएँ कार्यक्रम के वसितार के साथ अत्यधिक वित्तीय व्यय का कारण हो सकती हैं।
 - समय के साथ खरीद व्यय बढ़ने से लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे सरकार के बजट पर बोझ पड़ सकता है।
 - यदि योजना के वसितार के साथ-साथ राजस्व वृद्धि में भी कमी हो रही है तो इससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है।
- बाज़ार की गतिशीलता में विकृति: नशुल्क मलिते वाले अथवा अत्यधिक छूट प्राप्त करने वाले खाद्यान्न वितरण से वसितारित कार्यक्रम बाज़ार की गतिशीलता को परिवर्तित कर सकता है, साथ ही यह कृषि उद्योग को भी प्रभावित कर सकता है तथा मूल्य विकृतियों का कारण भी बन सकता है।
- नरिभरता तथा स्थिरता के मुद्दे: मुफ्त खाद्यान्न वितरण जारी रखने से लाभार्थियों में इस खाद्यान्न पर नरिभरता में वृद्धि हो सकती है, जिससे आत्मनरिभरता अथवा वैकल्पिक आजीविका प्रयासों की इच्छा कम हो सकती है।
 - गरीबी एवं भुखमरी को दूर करने के लिये सरकारी सहायता पर नरिभर रहना कोई स्थायी, दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता है।
- प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद तथा नीतगित स्थिरता: इस वसितार से राजनीतिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धी लोकलुभावन उपाय हो सकते हैं, जो अस्थिर नीतियों को लागू कर सकते हैं और साथ ही सार्वजनिक वित्त पर भी दबाव डाल सकते हैं।

आगे की राह:

■ अल्पावधि के उपाय:

- **खाद्यान्न पहुँच के लिये डिजिटल वाउचर का उपयोग: ई-रुपी** का उपयोग विशेष रूप से आवश्यक खाद्य पदार्थों की खरीद के लिये डिजिटल वाउचर के रूप में किया जाता है।
 - सरकार लक्षित लाभार्थियों को ई-रुपी वाउचर आवंटित कर सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कश्चिन का उपयोग केवल पौष्टिक खाद्यान्न खरीदने के लिये किया जाएगा।
- **क्राउडसोर्सड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क:** प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म या ऐसे ऐप विकसित करना जो घरों, रेस्तरां तथा सुपरमार्केट से ज़रूरतमंद लोगों तक अतिरिक्त या बरबाद होने वाले भोजन के वितरण की सुविधा प्रदान कर सकें।
 - इसमें अतिरिक्त भोजन की पहचान करने तथा इसे ज़रूरतमंद लोगों तक कुशलतापूर्वक वितरित करने में सामुदायिक भागीदारी शामिल होगी।

■ दीर्घकालिक उपाय:

- **आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम:** परपेचुअल हैडआउट्स के बजाय उन कार्यक्रमों में नविश करने की आवश्यकता है जो व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं।
 - इसमें लोगों को आत्मनरिभर बनने में मदद करने के लिये **कौशल विकास, नौकरी प्रशिक्षण एवं उद्यमशीलता** के अवसर शामिल हो सकते हैं।
- **सब्सिडी में धीरे-धीरे कमी:** नशुल्क राशन कार्यक्रम को अचानक बंद करने के बजाय, धीरे-धीरे सब्सिडी में कमी करके इसे समाप्त करें तथा साथ ही अन्य सहायता प्रणालियों को लागू करें। इससे अभावग्रस्त जनसंख्या और अर्थव्यवस्था को अचानक लगने वाले झटके से बचने में मदद मलित सकती है।
- नशुल्क राशन कार्यक्रम को अन्य सहायता प्रणालियों के कार्यान्वयन के साथ धीरे-धीरे बंद किया जाना चाहिये, न कि अचानक रोक देना चाहिये। इससे सुभेद्य आबादी एवं अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव को न्यंत्रित करने में मदद मलित सकती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि:

1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो "गरीबी रेखा से नीचे" (बी.पी.एल) श्रेणी में आते हैं ।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उमर की सबसे अधिक उमर वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत कयि जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखयिा होगी ।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतदिनि 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं ।

उपरयुतत कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

??????

प्रश्न.1 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के द्वारा कीमत सहायकी का प्रतसि्थापन भारत में सहायकियों के परदृश्य का कसि प्रकार परविरतन कर सकता है? चर्चा कीजयि । (2015)

प्रश्न.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुखय वशिषताएँ क्या हैं? खाद्य सुरक्षा वधियक ने भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने में कसि प्रकार सहायता की है? (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/extension-of-pradhan-mantri-garib-kalyan-anna-yojana-1>

